न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्वसिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध संख्या 13/2016

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. श्री गिरधारीसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम ठाकुरला तहसील पाली जिला पाली (राज.)		1. श्री खीमसिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम ठाकुरला तहसील पाली जिला पाली (पाली)
2. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री भीकसिंह जाति राजपुरेहित निवासी ग्राम ठाकुरला तहसील पाली जिला पाली (राज.)		2. सरकार जरिये तहसीलदार पाली

उपस्थितिः–

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. मनोहर नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी संख्या 01
3. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

दिनांक 27.08.2019

–ःनिर्णयः–

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 180/1 व 180/2 रकबा क्रमशः 21 बीघा 8 बिस्वा व 21 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल मौजा ग्राम ठाकुरला तहसील पाली में स्थित है तथा प्रार्थीगण की उक्त कृषि भुमि के पास अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा नम्बर 177 रकबा करीब 36 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भुमि स्थित है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त कृषि भुमि के बीच मे से खसरा नम्बर 179 गैर मुमकीन रास्ता रकबा 30 बीघा निकलता है। उक्त रास्ता ग्राम ठाकुरला तथा सोडावास की सीमाओं के बीच मे से कदीम से चला आ रहा है। खसर नम्बर 179 किस्म गैर मुमकीन रास्ता भुमि एकीकरण के पूर्व नक्शा शीट के अनुरूप उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भुमि मे से होता हुआ गुजरता है। उक्त रास्तें की भुमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण का कब्जा अपने खातेदारी की कृषि भुमि खसरा नम्बर 180/1 व 180/2 मे ही रहता आ रहा है। प्रार्थी की उक्त कृषि भुमि पर कदीम से रास्ते की सीमा की तरफ धोरे लगे हुये है जो करीब 50 वर्ष से अधिक समय से पुराने है। उक्त तथ्यों की पुष्टि दिनांक 10.10.2014 की हल्कापटवारी सोडावास की रिपोर्ट से स्पष्ट है। उक्त रिपोर्ट मे यह स्पष्ट तौर से दर्शित किया गया है। पटवारी हल्का सोडावास के साथ मय राजस्व रेकर्ड सहित ग्राम ठाकुरला के खसरा नम्बर 179, 180 व 177 का मौका देखा गया। पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अनुसार दिनांक 10.10.2014 की रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश की गई। जिसमें सड़क की भुमि को खीमसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति पुरोहित की कृषि भुमि खसरा नम्बर 177 मे से होकर उक्तरास्ते को जाना बताया गया है। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का ने अपने पास उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अनुरूप तैयार की गई थी। इस प्रकार प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की कृषि भुमि मे उक्त रास्ते की भुमि पाई जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। पटवारी हल्का द्वारा लट्ठा ट्रेस तथा भुमि एकीकरण के पहले तथा बाद मे बनाये गये नक्शा शीटो मे पूर्णतया मतभेद है। उक्त रास्ते को भुमि एकीकरण के बाद मे बनाये गये व नक्शे मे उक्त रास्ते को प्रार्थीगण की भुमि की तरफ शिफ्ट किया गया है जो भुमि एकीकरण के नक्शा शीट से मिलान करने से स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 10.10.2014 के पश्चात् पुनः दुसरी रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष दिनांक 02.01.2015 को पेश की गई थी। जिसमे पटवारी हल्का ने

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

तारबंदी को तथा खीमसिंह के धोरा माठ को खसरा नम्बर 177 की सीमा पर ही बताया गया है तथा पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा ट्रेस से सीमा चिन्ह दोहदा नम्बर 55 के उत्तर पूर्व मे डेढ़ दो गट्टा लगभग भुमि तक खसरा नम्बर 177 की खातेदारी भुमि आ रही है। जिसके अनुसार सड़क अप्रार्थी संख्या 1 की भुमि मे आना पाया जाता है तथा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नक्शा शीट के अनुसार पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा का मिलान किया गया तो पटवारी हल्का का लट्टा ट्रेस सही नही पाया गया। इस प्रकार शीट व ट्रेस मे समानता नही होने से शीट अनुसार उपरोक्त सरहदी सीमा चिन्ह दोहदा नम्बर 55 के उत्तर पश्चिम मे 5 गट्टा की भुमि खसरा नम्बर 179 की आती है जिसमे उक्त रास्ते पर बनी सड़क को बना हुआ पाया गया जो ग्राम सोडावास व ग्राम ठाकुरला की सीमाये पटवारी हल्का के पास उपलब्ध लट्टा ट्रेस से मिलान नही हो रहा है। इस प्रकार नक्शा ट्रेस तथा शीट से किये गये परिवर्तन को नक्शा ट्रेस मुल से मिलान कर उक्त रेवेन्यु रेकर्ड मे नक्शे को दुरस्थ किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है अलग अलग नक्शो मे शीट तथा लट्ठा ट्रेस मे अन्तर पाये जाने से पक्षकारान मौके पर भ्रमित हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 इसका नाजायज फायदा उठाकर अपने अंदर स्थित रास्ते की भुमि को प्रार्थीगण की भुमि में शिफ्ट करने मे लगे हुये है जबकि प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भुमि के कदिम से धोरा लगाकर माठे बनी हुई है तथा रास्ता शुरू से प्रार्थीगण की कृषि भुमि के बाहर से होता हुआ गुजरता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने रेवेन्यु अधिकारियों से मिलावट कर अपने अंदर स्थित रास्ते की भुमि को प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भुमि मे दर्शित कराने हेतु लट्ठा ट्रेस मे परिवर्तन करवाकर उक्त रास्ते की भुमि को हड़पने का षड़यंत्र रचा ऐसी परिस्थितियों मे प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 180/1 व 180/2 तथा खसरा नम्बर 179 गैर मुमकीन रास्ते की सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी की जाना अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है ताकि उक्त प्रकरण का सही निस्तारण हो सके। नक्शा शीट तथा लट्ठा ट्रेस एवं जिला कार्यालय का नक्शा गलत बना हुआ है तो उक्त सभी प्रकार के नक्शों का मिलान किया जाकर लट्टा ट्रेस अथवा नक्शा शीट मे परिवर्तन किया जाकर रास्ते का सही सीमांकन किया जाना लाजमी है जब तक रास्ते का सीमांकन तथा प्रार्थीगण की कृषि भुमि का सीमांकन नही हो जाता है तब तक वस्तु स्थिति का पता नही चलेगा इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त तथ्यों का फायद उठाते हुये रास्ते की भुमि को हडपने की नियति से डामर रोड के चिपते हुये तारबंदी कर रास्ते को संकरा कर रखा है। उक्त राशि का मुल नक्शा शीट से अथवा भुमि एकीकरण के पूर्व बनाये गये मुल नक्शे से मिलान कर लट्टा ट्रेस तथा नक्शा शीटो मे किये गये परिवर्तन को दुरस्त किया जाकर अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा रास्ते की भुमि पर की गई तारबंदी को हटाया जाना अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त नक्शों तथा भौतिक स्थिति तथा मौके पर कदिम से चल आ रहे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुरूप रास्ते का सीमांकन किया जाकर तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भुमि का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा आज श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा हैं अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त तथ्यों की दुरस्तीकरण करने हेतु कई बार निवेदन किये जाने से नही मानने पर तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 04.08.2015 की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ते के संदर्भ मे विराधाभाषी तथ्य उत्पन्न हो जाने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान से समक्ष प्रार्थीगण द्वारा पेश किया जा रहा है। ग्राम ठाकुरला के खसरा नम्बर 179,180 व 177 का सीमाकंन कर रेवेन्यु लट्टा ट्रेस, नक्शा शीट मे तथा मोम ट्रेस मे किये गये परिवर्तन को दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जहा पर रास्ता बताया जा रहा है वहां पर रास्ता नहीं है व खसर नम्बर 179 रास्ता है। जिस पर प्रार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि मे से कोई रास्ता नहीं निकलता है। स्वयं पटवारी ने रिपोर्ट बनायी है जिसमें खसरा नम्बर 179 मे रास्ता बताया है परन्तु प्रार्थी ने उस पर अतिक्रमण कर रास्ता बन्द कर

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

रखा है जिसे खुलवाने के संबंध मे दिनांक 18.07.2015 को कैम्प में दिनांक 18.07.2015 को कलेक्टर साहब, पाली के यहां उपरोक्त मामले में टिप्पणी की गई है व प्रार्थी के खिलाफ 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कर रास्ता खुलवाने का लिखा गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 179 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है। इसलिये पटवारी द्वारा सही रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 179 रास्ते की भुमि पर अतिक्रमण किया है जिसको दबाने हेतु गलत मुकदमा किया गया है। अप्रार्थी की भुमि में से कोई रास्ता नहीं है बल्कि खसरा नम्बर 179 में रास्ता है जिस पर प्रार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है उससे बचने हेतु व अतिक्रमण को छिपाने हेतु अप्रार्थी के खेत मे से रास्ता बताया जा रहा है। नक्शा शीट व नक्शा ट्रेस सही बना हुआ है। सिर्फ प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 179 पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु की जा रही कार्यवाही से अपने आपको बताने हेतु ट्रेस नक्शा को गलत बताया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा कोई रास्ते की भूमि नही हड़पी गयी है। बल्कि प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिसकी टिप्पणी दिनांक 18.07.2015 को हुई कार्यवाही में स्पष्ट है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र नियममानुसार तस्दीक नही है। सरकार को पक्षकार बनाया गया है। इसलिये धाररा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में प्रार्थना पर खारिज किये जाने योग्य है। तारबन्दी हटाने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। इसलिये याचिका श्रीमान के क्षैत्राधिकार का नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिसको हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जिससे बचने हेतु मुकदमा किया है जो खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के द्वौरान प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 180/1 व 180/2 रकबा क्रमशः 21 बीघा 8 बिस्वा व 21 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल मौजा ग्राम ठाकुरला तहसील पाली में स्थित है तथा प्रार्थीगण की उक्त कृषि भुमि के पास अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा नम्बर 177 रकबा करीब 36 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भुमि स्थित है। प्रार्थीगणा तथा अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त कृषि भुमि के बीच मे से खसरा नम्बर 179 गैर मुमकीन रास्ता रकबा 30 बीघा निकलता है। उक्त रास्ता ग्राम ठाकुरला तथा सोडावास की सीमाओं के बीच मे से कदीम से चला आ रहा है। खसर नम्बर 179 किस्म गैर मुमकीन रास्ता भुमि एकीकरण के पूर्व नक्शा शीट के अनुरूप उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भुमि मे से होता हुआ गुजरता है। उक्त रास्तें की भुमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण का कब्जा अपने खातेदारी की कृषि भुमि खसरा नम्बर 180/1 व 180/2 मे ही रहता आ रहा है। प्रार्थी की उक्त कृषि भुमि पर कदीम से रास्ते की सीमा की तरफ धोरे लगे हुये है जो करीब 50 वर्ष से अधिक समय से पुराने है। उक्त तथ्यों की पुष्टि दिनांक 10.10.2014 की हल्कापटवारी सोडावास की रिपोर्ट से स्पष्ट है। उक्त रिपोर्ट मे यह स्पष्ट तौर से दर्शित किया गया है। पटवारी हल्का सोडावास के साथ मय राजस्व रेकर्ड सहित ग्राम ठाकुरला के खसरा नम्बर 179, 180 व 177 का मौका देखा गया। पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अनुसार दिनांक 10.10.2014 की रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश की गई। जिसमें सड़क की भुमि को खीमसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति पुरोहित की कृषि भुमि खसरा नम्बर 177 मे से होकर उक्त रास्ते को जाना बताया गया है। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का ने अपने पास उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अनुरूप तैयार की गई थी। इस प्रकार प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की कृषि भुमि मे उक्त रास्ते की भुमि पाई जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। पटवारी हल्का द्वारा लट्ठा ट्रेस तथा भुमि एकीकरण के पहले तथा बाद मे बनाये गये नक्शा शीटो मे पूर्णतया मतभेद है। उक्त रास्ते को भुमि एकीकरण के बाद मे बनाये गये व नक्शे मे उक्त रास्ते को प्रार्थीगण की भुमि की तरफ शिफ्ट किया गया है जो भुमि एकीकरण के नक्शा शीट से मिलान करने से स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 10.10.2014 के पश्चात् पुनः दुसरी रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष दिनांक 02.01.2015 को पेश की गई थी। जिसमे पटवारी हल्का ने तारबंदी को तथा खीमसिंह के धोरा माठ को खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

177 की सीमा पर ही बताया गया है तथा पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा ट्रेस से सीमा चिन्ह दोहदा नम्बर 55 के उत्तर पूर्व मे डेढ़ दो गट्टा लगभग भुमि तक खसरा नम्बर 177 की खातेदारी भुमि आ रही है। जिसके अनुसार सड़क अप्रार्थी संख्या 1 की भुमि मे आना पाया जाता है तथा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नक्शा शीट के अनुसार पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा का मिलान किया गया तो पटवारी हल्का का लट्टा ट्रेस सही नही पाया गया। इस प्रकार शीट व ट्रेस मे समानता नही होने से शीट अनुसार उपरोक्त सरहदी सीमा चिन्ह दोहदा नम्बर 55 के उत्तर पश्चिम मे 5 गट्टा की भुमि खसरा नम्बर 179 की आती है जिसमे उक्त रास्ते पर बनी सड़क को बना हुआ पाया गया जो ग्राम सोडावास व ग्राम ठाकुरला की सीमाये पटवारी हल्का के पास उपलब्ध लट्टा ट्रेस से मिलान नही हो रहा है। इस प्रकार नक्शा ट्रेस तथा शीट से किये गये परिवर्तन को नक्शा ट्रेस मुल से मिलान कर उक्त रेवेन्यु रेकर्ड मे नक्शे को दुरस्थ किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायासंगत है अलग अलग नक्शो मे शीट तथा लट्ठा ट्रेस मे अन्तर पाये जाने से पक्षकारान मौके पर भ्रमित हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 इसका नाजायज फायदा उठाकर अपने अंदर स्थित रास्ते की भुमि को प्रार्थीगण की भुमि में शिफ्ट करने मे लगे हुये है जबकि प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भुमि के कदिम से धोरा लगाकर माठे बनी हुई है तथा रास्ता शुरू से प्रार्थीगण की कृषि भुमि के बाहर से होता हुआ गुजरता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने रेवेन्यु अधिकारियों से मिलावट कर अपने अंदर स्थित रास्ते की भुमि को प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भुमि मे दर्शित कराने हेतु लट्ठा ट्रेस मे परिवर्तन करवाकर उक्त रास्ते की भुमि को हड़पने का षड़यंत्र रचा ऐसी परिस्थितियों मे प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 180/1 व 180/2 तथा खसरा नम्बर 179 गैर मुमकीन रास्ते की सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी की जाना अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है

नक्शा शीट तथा लट्ठा ट्रेस एवं जिला कार्यालय का नक्शा गलत बना हुआ है तो उक्त सभी प्रकार के नक्शों का मिलान किया जाकर लट्टा ट्रेस अथवा नक्शा शीट मे परिवर्तन किया जाकर रास्ते का सही सीमांकन किया जाना लाजमी है जब तक रास्ते का सीमांकन तथा प्रार्थीगण की कृषि भुमि का सीमांकन नही हो जाता है तब तक वस्तु स्थिति का पता नही चलेगा इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त तथ्यों का फायद उठाते हुये रास्ते की भुमि को हडपने की नियति से डामर रोड के चिपते हुये तारबंदी कर रास्ते को संकरा कर रखा है। उक्त राशि का मुल नक्शा शीट से अथवा भुमि एकीकरण के पूर्व बनाये गये मुल नक्शे से मिलान कर लट्टा ट्रेस तथा नक्शा शीटो मे किये गये परिवर्तन को दुरस्त किया जाकर अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा रास्ते की भुमि पर की गई तारबंदी को हटाया जाना अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त नक्शों तथा भौतिक स्थिति तथा मौके पर कदिम से चल आ रहे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुरूप रास्ते का सीमांकन किया जाकर तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भुमि का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा आज श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा हैं अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त तथ्यों की दुरस्तीकरण करने हेतु कई बार निवेदन किये जाने से नही मानने पर तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 04.08.2015 की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ते के संदर्भ मे विराधाभाषी तथ्य उत्पन्न हो जाने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान से समक्ष प्रार्थीगण द्वारा पेश किया जा रहा है। ग्राम ठाकुरला के खसरा नम्बर 179,180 व 177 का सीमाकंन कर रेवेन्यु लट्टा ट्रेस, नक्शा शीट मे तथा मीमो ट्रेस मे किये गये परिवर्तन को दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि एकीकरण से पूर्व खसरा नम्बर 179 खीम सिंह की भुमि से गुजरता था। एकीकरण के बाद के नक्शे में उक्त रास्ते को प्रार्थी की भुमि की तरफ शिफ्ट किया गया है तथा राजस्थान संपर्क रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 180 वाले ने रास्ते मे अतिक्रमण कर रखा है।

7. बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित भुमि पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जिस संबंध मे पूर्व मे

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

सुगम में रिपोर्ट दर्ज एवं जांच अनुसार खसरा नम्बर 180 के खातेदार द्वारा ही रास्ते पर अतिक्रमण करने से उसके विरूद्ध एल.एक्ट धारा 91 की कार्यवाही के लिए लिखा गया था।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर के अनुसार विवादित भुमि पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जिस संबंध मे पूर्व मे दर्ज एवं जांच अनुसार खसरा नम्बर 180 के खातेदार द्वारा ही रास्ते पर अतिक्रमण करने से उसके विरूद्ध एल.एक्ट धारा 91 की कार्यवाही के लिए लिखा गया था।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र द्वारा यह सिद्ध नहीं होता है कि नक्शे में संशोधन की जरूरत है। प्रार्थी सीमांकन के लिए तहसीलदार, पाली के समक्ष अलग से चाराजोही कर सकता है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 111, 128, 131 आर.एल.आर. एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner